न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या : 669/2019

सरकार बनाम जीतू।

<u>दिनांकः 04.08.2023</u>

पत्रावली पेश की गई।

अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र जिला जेल बुलन्दशहर से तलब होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। दूसरे अभियुक्त पुनीत के खिलाफ गैर जमानती वारन्ट लगातार जारी है। जितेन्द्र उर्फ जीतू द्वारा न्यायालय को पूर्व में अवगत कराया गया था कि सत्र वाद संख्या 671/2016 में उसका निर्णय अन्य अभियुक्त ओमवीर उर्फ पहलवान, अनिल उर्फ पी0के0 के साथ हो गया था जिसमें उसे लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया गया था। अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू की ओर से उनक अधिवक्ता द्वारा उक्त दोषमुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने के लिए पूर्व में समय मांगा गया था। आज उनकी ओर से सत्र वाद संख्या 671/2016 सरकार बनाम ओमवीर उर्फ पहलवान में अपर सत्र न्यायाधीश, खुरजा द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 26.02.2019 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गई।

इस निर्णय के प्रस्तर 5 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया कि *दौराने विचारण अभियुक्त पुनीत की अनुपस्थिति के कारण उसकी पत्रावली पृथक की गई।* यह निर्णय अभियुक्त ओमवीर उर्फ पहलवान, अनिल उर्फ पी0के0 व जितेन्द्र उर्फ जीतू के सम्बन्ध में पारित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.02.2019 के माध्यम से अभियुक्तगण ओमवीर उर्फ पहलवान, अनिल उर्फ पी0के0 व जितेन्द्र उर्फ जीतू को सन्देह का लाभ देकर आरोप अन्तर्गत धारा 302/34 व धारा 201 भा0दं0सं0 से दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त पुनीत की पत्रावली पृथक कर उस पर 671ए/2016 सत्र वाद संख्या अंकित की गई जो बाद में माननीय सत्र न्यायाधीश बुलन्दशहर के आदेश से एस0टी0 नं0 669/2019 के रूप में प्रचलित रहा। पृथक सत्र वाद की प्रथम आर्डरशीट दिनांकित 16.02.2019 पर सहबन अभियुक्त जीतू व पुनीत की पत्रावली अलग होने का इन्द्राज हो गया। इस कारण अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू इस पृथक पत्रावली में न्यायालय में उपस्थित होता रहा जबकि इस पत्रावली में मात्र पुनीत का विचारण शेष था। जीतू उर्फ जितेन्द्र द्वारा अपने दोषमुक्ति के तथ्य से न्यायालय को अवगत कराया गया व आज दोषमुक्ति आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू को अन्य सह अभियुक्त ओमवीर उर्फ पहलवान व अनिल उर्फ पी0के0 के साथ ही सत्र वाद संख्या 671/2016 में दोषमुक्त कर दिया गया। जितेन्द्र उर्फ जीतू द्वारा सत्र वाद संख्या 671/2019 में पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि इस पत्रावली पर रखी जाए। तद्नुसार इस पत्रावली में अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू को तलब न किया जाए। अभियुक्त पुनीत का विचारण इस

Digitally signed by GULAM MUSTAFA
Date: 2023.08.08 10:10:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सत्र वाद संख्या 669/2019 में बदस्तूर जारी रहेगा। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त पुनीत दिनांक 18.08.2023 को पेश हो।

दिनांकः 04.08.2023

अपर सत्र न्यायाधीश,

खुरजा(बुलन्दशहर)

राजकुमार शर्मा–आशुलिपिक।